न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 508 / 2024

प्रार्थीगण
1 हीराराम 2 खींयाराम 3 टीकमाराम 4 पुरखाराम पिसरान पीराराम 5 मगी पत्नी पीराराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 मूलाराम 2 जसराज 3 दमाराम 4 लाखाराम पिसरान पदमाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ तहसील व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री मोहनलाल भादू, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 04.09.24

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जोगेसर कुआ पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 339 आई हुई है जिसमे से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के मध्य विभाजन होने पर वर्तमान में प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 483 / 339 रकबा 9.3644 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या 482 / 339 रकबा 7.2277 हैक्टेयर है। वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के बीच तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार है परन्तु राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर का अंकन करते समय प्रार्थीगण का खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 में कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का खसरा संख्या प्रार्थीगण के लठ्ठा ट्रेस में अंकित कर दिया गया। अतः राजस्व अधिकारियों की भूल के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर का अंकन मौके पर भौतिक रूप से काबिज अनुसार नहीं होने से प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के मध्यम तनाव की स्थिति बनी हुई है, लिहाजा मौजा जोगेसर कुआ पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 483 / 339 रकबा 9.3644 की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में खसरा अंकन को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लठ्ठा ट्रेस में खसरा का अंकन दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने जवाब प्रस्तुत कर हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा जोगेसर कुआ पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 339 आई हुई है जिसमे से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के मध्य विभाजन होने पर वर्तमान में प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 483 / 339 रकबा 9.3644 हैक्टेयर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:32:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या 482/339 रकबा 7.2277 हैक्टेयर है,

ूल खसरा संख्या 339 के भाग थे किन्तु पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाने पर टा नम्बर अंकित हो गये। वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के बीच रमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार है परन्तु राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर का अंकन करते समय प्रार्थीगण का खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 में कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का खसरा संख्या प्रार्थीगण के लठ्ठा ट्रेस में अंकित कर दिया गया। लिहाजा मौजा जोगेसर कुआ पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 482/339 रकबा 7.2277 हैक्टेयर की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में खसरा अंकन को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लठ्ठा ट्रेस में खसरा का अंकन दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नक्शो का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की वर्तमान में लठ्ठा ट्रेस में खसरा अंकन अशुद्ध है जिसे उभय पक्षों ने स्वीकार किया है। उभय पक्षों की सहमति व प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण के मौजा जोगेसर कुआ पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 482/339 के स्थान पर लठ्ठा ट्रेस में 483/339 व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खसरा संख्या 483/339 के स्थान पर लठ्ठा ट्रेस में 482/339 खसरा अंकन दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत जवाब के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेसर कुआ पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 483/339 रकबा 9.3644 हैक्टेयर व खसरा संख्या 482/339 रकबा 7.2277 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में खसरा अंकन निरस्त की जाकर प्रार्थीगण के मौजा जोगेसर कुआ पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 482/339 के स्थान पर लठ्ठा ट्रेस में 483/339 व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खसरा संख्या 483/339 के स्थान पर लठ्ठा ट्रेस में 482/339 खसरा अंकन दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर [redacted] जांच कर बाद जांच तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:32:29 IST
Reason: SelfAttested

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 04.09.24 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर